



मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

क्रमांक 76/02/2014/चयन

इन्दौर, दिनांक 23.09.2016

चयन परिणाम

(याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 9992/2014 कु. नदीमा शीरी विरुद्ध
म0प्र0 लोक सेवा आयोग में माननीय न्यायालय, जबलपुर द्वारा
दिनांक 31.08.2016 को पारित निर्णय के परिपालन में)

आयोग के विज्ञापन क्रमांक 03/परीक्षा/2012/दिनांक 01.10.2012 एवं समय-समय पर जारी शुद्धि पत्रादि एवं जारी महत्वपूर्ण सूचना के सन्दर्भ में आयोजित राज्य सेवा परीक्षा - 2012 तथा साक्षात्कार दिनांक 01.07.2016 से 30.07.2016 तक आयोजित किये जाकर अंतिम चयन परिणाम दिनांक 05.08.2016 को घोषित किया गया है। आयोग द्वारा न्यायालयीन प्रकरण वाले आवेदकों के चयन परिणाम न्यायालयीन निर्णय के अध्ययीन रखे जाकर रोके गये हैं।

2/ याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 9992/2014 कु. नदीमा शीरी विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा सचिव, पोस्टल डिपार्टमेंट एवं म0प्र0 लोक सेवा आयोग में माननीय न्यायालय, जबलपुर द्वारा दिनांक 15.07.2014 को पारित निर्णय के परिपालन में याचिकाकार अभ्यर्थी कु. नदीमा शीरी का साक्षात्कार दिनांक 14.07.2016 को आयोजित किया गया।

3/ दिनांक 05.08.2016 को घोषित चयन परिणाम में अभ्यर्थी से प्राप्त अग्रमान्यता के आधार पर अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक, कट-ऑफ-मार्क्स से कम होने के फलस्वरूप अभ्यर्थी का चयन किसी भी पद पर नहीं हुआ है। तदनुसार इनका चयन परिणाम निरंक घोषित किया जाता है।

टीप :-

1. "चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर-त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।"


(रेनु पन्त)
सचिव